छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये जाने वाले परीक्षा शुल्क का भुगतान RTGS / NEFT के माध्यम से किये जाने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालयी कार्यों में **E-Governance** के विस्तार के क्रम में सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की सत्र 2015-16 के सम (Even) सेमेस्टर्स परीक्षाओं तथा सत्र 2016-17 से संस्थागत परीक्षाओं हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किया जाने वाला परीक्षा शुल्कादि केवल RTGS / NEFT के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा । परीक्षा शुल्कादि जमा करने की नवीन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण निम्नवत् है -

1. परीक्षा आवेदनों के आन-लाइन सब्मिशन के साथ ही College Login पर पूर्व की भॉति Fee Report जनरेट होगी । Fee Report में किसी प्रकार की त्रुटि दर्शित होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा दूरभाष संख्या 9415475278 (For Annual System) / 9415723390 (For Semester System) पर सम्पर्क करके तुरन्त त्रुटि निवारण कराया जायेगा ।
2. परीक्षा आवेदन हेतु आन-लाइन सब्मिशन की निर्धारित अवधि के उपरान्त परीक्षा शुल्कादि जमा करने की निर्धारित अवधि में शुल्क जमा करने की कार्यवाही महाविद्यालयों द्वारा सम्पन्न की जायेगी ।
3. परीक्षा शुल्कादि जमा करने हेतु निर्धारित अवधि में महाविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार सब्मिटेड छात्र/छात्राओं हेतु **"Generate Fee Submission Report Through RTGS"** लिंक के अन्तर्गत बने लिंक **"Generate Fee Report"** द्वारा Fee Report को जनरेट किया जायेगा । Fee Report के पेज पर **"Generate RTGS Slip for Payment"** लिंक के द्वारा RTGS Slip को Print किया जायेगा । **"Generate RTGS Slip for Payment"** लिंक केवल शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित अवधि में ही क्रियाशील (Functional) रहेगा ।
4. RTGS Slip में महाविद्यालय का नाम/कोड, RTGS Generated छात्रों की संख्या एवं विश्वविद्यालय के खाते में जमा किये जाना वाला शुल्क तथा शुल्क प्राप्ति हेतु निर्धारित बैंक एकाउन्ट नम्बर आदि का विवरण मुद्रित होगा । **उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित बैंक द्वारा वांछित RTGS/NEFT Charges अलग से देय होगें ।**
5. उक्त RTGS Slip पर अंकित विवरणानुसार देय शुल्क का भुगतान महाविद्यालय अपने बैंक खाते से विश्वविद्यालय खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से प्रेषित करने की कार्यवाहीं करेगें । **प्रत्येक Generate RTGS Slip में अंकित "Beneficiary**

Account No.” अलग-अलग तथा Unique होता है अतः प्रत्येक बार RTGS करते समय RTGS Slip से account no. का मिलान अवश्य कर लें ।

6. महाविद्यालय द्वारा प्रेषित शुल्क तथा Account No. के विश्वविद्यालय में उपलब्ध विवरण से मिलान होने की दशा में ही महाविद्यालय के College Login में विश्वविद्यालय के खाते में शुल्क स्थानान्तरित होने का Notification प्रदर्शित हो जायेगा । उपरोक्त विवरण में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने की स्थिति में ऑनलाइन प्रणाली द्वारा Transaction निरस्त कर दिया जायेगा एवं धनराशि सम्बन्धित महाविद्यालय के उस बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जहाँ से वह प्रेषित की गयी थी तथा महाविद्यालय के College Login में Transaction निरस्त होने की सूचना प्रदर्शित होने लगेगी ।
7. महाविद्यालय द्वारा निरस्त Transaction से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के लिए उपरोक्त शुल्क हेतु **निर्धारित अवधि में ही पुनः RTGS Slip को जनरेट किया जायेगा** तथा पूर्व की भॉति समस्त प्रक्रिया निष्पादित की जायेगी ।
8. शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त ऐसे RTGS Slip स्वतः ही निरस्त हो जायेगे जिनका भुगतान महाविद्यालय द्वारा नियत अवधि में नहीं किया गया होगा । इस प्रकार निरस्त हुये RTGS Slip को अगली शुल्क जमा करने की अवधि में पुनः जनरेट कर तथा प्रिन्ट कर शुल्क जमा करने की कार्यवाहीं पूर्ण की जायेगी ।
9. RTGS/NEFT पद्धति में विश्वविद्यालय के नियमानुसार **विलम्ब शुल्क (Late Fee)** लागू किया जायेगा ।
10. उपरोक्त प्रक्रिया में आन-लाइन सब्मिशन एवं शुल्कादि जमा करने की अलग-अलग अवधि निर्धारित होगी । ऐसे अभ्यर्थी अथवा महाविद्यालय जिनका उक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त परीक्षाफल पूर्ण/घोषित होगा उनके सब्मिशन एवं शुल्कादि जमा करने की पृथक अवधि निर्धारित की जायेगी । उपरोक्त अवधियों का परिवर्तित पूर्ण विवरण शैक्षिक पंचांग:2016-17 से प्राप्त होगा ।